संघ कार्यपालिका (राष्ट्रपति)

प्रश्न 20—भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति की विवेचना कीजिए।

[redacted]

उत्तर—

राष्ट्रपति गणराज्य का प्रमुख है

(The President is the head of the Republic)

संसदीय सरकार में राष्ट्रपति सांविधानिक अध्यक्ष होता है परन्तु वास्तविक शक्ति मन्त्रिपरिषद् में निहित होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनु० 53 (1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनु० 53 (2) के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होगा।

यद्यपि अनु० 53 (1) संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है परन्तु यह भी कहता है कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार करेगा। इस प्रकार राष्ट्रपति की यह शक्ति संविधान के उपबन्धों में सीमित हो जाती है जो मनमाना प्रयोग करने से रोकती है। संविधान का उल्लंघन

करने पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर उस पर अनु० 61 के अनुसार संसद में महाभियोग चलाया जा सकता है तथा उसे पदच्युत किया जा सकता है।

यद्यपि कि संविधान के ही अनुसार राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रदत्त की गयी हैं, जो उसे तानाशाह बना सकती हैं। जैसे अनु० 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करके कानूनी ये शासन चला सकता है तथा सेना को अपने नियंत्रण में रख सकता है। अनु० 85 के द्वारा वह संसद के किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा को भी भंग कर सकता है। अनु० 352 के अन्तर्गत आपात की उद्घोषणा करके संसद को भंग कर सकता है। अनु० 356 के द्वारा मूल अधिकारों को और न्यायालय द्वारा उनके प्रवर्तन के अधिकार को निलम्बित कर सकता है। अनु० 123 के अन्तर्गत अध्यादेशों के निष्पादन में वह अपनी इच्छानुसार कोई भी मन्त्रिपरिषद् गठित करके अनु० 74 (2) की इस औचारिकता को पूरी कर सकता है।

एस० आर० बोम्मई बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० (1994) 3 एस० सी० सी० 1 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णीत किया कि यद्यपि अनु० 74 (2) के अधीन मन्त्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श न्यायिक जांच के परे है परन्तु जिन आधारों पर ऐसा परामर्श आधारित होता है, वे परामर्श के भाग नहीं होते अतः उनका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है।

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का स्थान

हमारे संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि राष्ट्रपति की स्थिति एक सांविधानिक प्रधान की तरह है और उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग मन्त्रिपरिषद की सलाह पर ही करना चाहिए। इस स्थिति को स्पष्ट करते हुए संविधान सभा में डा० अम्बेडकर ने कहा कि—"भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का वही स्थान है जो इंग्लैण्ड के संविधान में वहाँ के सम्राट का है। वह राष्ट्र का प्रमुख तो होता है परन्तु राष्ट्र का शासक नहीं। साधारणतः वह मन्त्रिपरिषद की सलाह से बाध्य होता है। न तो वह उसकी सलाह के बिना कुछ कर सकता है और न ही सलाह के विरुद्ध कुछ कर सकता है।"

राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य, ए० आई० आर० 1955 एस० सी० 49 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि भारतीय संविधान द्वारा भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की सरकार की स्थापना की गई है जिसका प्रमुख सिद्धान्त यह है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल संवैधानिक प्रधान हैं परन्तु वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मन्त्रि परिषद में निहित है।

शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए० आई० आर० 1974 एस० सी० 2193 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल मात्र संवैधानिक प्रमुख हैं। वे अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन मन्त्रिपरिषद की सलाह और सहायता से ही करते हैं।

यू० एन० राव बनाम इन्दिरा गांधी, ए० आई० आर० 1974 एस० सी० 1002 के मामले में न्यायालय ने निर्णीत किया कि लोकसभा के विघटन के पश्चात भी मन्त्रिपरिषद समाप्त नहीं होती, वह सदैव बनी रहती है तथा राष्ट्रपति को सलाह देती रहती है। यदि राष्ट्रपति उसकी सलाह के बगैर कार्य करता है तो वह अनु० 53 (1) के विरुद्ध होकर संविधान के प्रतिकूल होगा।

42वें संशोधन के पश्चात्—42वाँ संशोधन अधिनियम, 1976 पारित होने के पश्चात् अनु० 74 (1) संशोधन द्वारा यह उपबन्धित किया गया है कि राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति पर यह संवैधानिक बाध्यता पूर्व में आरोपित नहीं थी।

परन्तु 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा उपर्युक्त संशोधन से उत्पन्न समस्या को दूर करने के लिए तथा राष्ट्रपति के व्यक्तिगत समाधान के लिए अनु० 74 (1) में संशोधन द्वारा एक नया परन्तुक जोड़कर राष्ट्रपति को वह अधिकार दिया गया है कि वह मन्त्रिपरिषद की किसी परामर्श को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है परन्तु ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् पुनः जो परामर्श मन्त्रिपरिषद् देगी, उसके अनुसार कार्य करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा।

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का स्थान एक नाममात्र के संवैधानिक प्रमुख का है, फिर भी वह अपने पद की हैसियत से राष्ट्रीय एकता और सम्मान तथा प्रतिष्ठा का प्रतीक है। वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तथा निष्पक्ष ढंग से मन्त्रिपरिषद के निर्णयों को किस सीमा तक अपने विचारों से प्रभावित कर सकता है यह उसके व्यक्तित्व पर आधारित है। संशोधित अनु० 74 (1) के अनुसार वह मन्त्रिपरिषद के निर्णय को, अपने किसी सुझाव के लिए पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है तथा समय-समय पर प्रधानमंत्री तथा मन्त्रिपरिषद के अन्य मन्त्रियों को समुचित परामर्श दे सकता है। अत: यह कहना अनुचित ही होगा कि संविधान में राष्ट्रपति के पद का कोई महत्व नहीं है।